

रजिस्टर्ड ए० डी०

आमन संस्कार  
खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो  
होमेन खान नियंत्रक का कार्यालय  
माहुपुरा औद्योगिक दोत्र, अजमेर-305002  
ई मेल- ro.ajmer@ibm.gov.in



No RAJ/BMR-19/Selenite-12

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhpura Industrial Area, Ajmer -305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

Date: 27/2/2017

प्रेषित M/S RSMM Ltd.,  
2, Gandhi Nagar Scheme,  
Lalgarh, Bikaner- 334001

विषय: राजस्थान राज्य के Barmer जिले में स्थित आपकी Thob\_II Salenite खान ₹63.06 हेक्टे मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 29RAJ04012)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.12.2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण मे पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपरच्छों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा

23E(2)

The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a – vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.

23 F

The Financial assurance has not been submitted to the Regional Controller of Mines.

33(6)

The Fines of Screening not secured by retaing wall or other means.

37

The water sprinkling on haul roads is not being carried out for controlling air polloution within permissible limits.

02. इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दड़नीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अंतर्गत (क) खदान गी सारी नक्षिए बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके दिल्लद अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अत आपको रसाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पिंतालिस) दिनों के मौत्र इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

१  
शुभा

( एच.सी.शर्मा )  
परि सहायक खान नियंत्रक  
वृत्त सेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

27/2/2017  
27/2/2017

०/०

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ —

- 1) खान नियन्त्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) अनि उभियन्ता, Barmer को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(३)

२५/२/८१

वरि सहायक खान नियन्त्रक  
कृते हीत्रीय खान नियन्त्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

O/L

भारत भरकान  
खान भ्रात्तल  
भारतीय खान नियन्त्रक  
लोगों खान नियन्त्रक  
भारतीय खान नियन्त्रक  
मादुपर आदत्याचिक भ्र  
२५/२/८१  
No RAJ/BL/